न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामधन वगैरा बनाम कल्याणी वगैरा** **किस्म मुकदमा – स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र** **प्रकरण सं. – 34/2017**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.05.2018	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 व 03 की ओर से अविनाश नागर अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। साथ ही जवाब प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश कर निवेदन किया गया की अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में विचाराधीन वाद को प्रार्थीगण वादीगण ने अपने वाद को विड्रो कर लिया है। जिसके आधार पर दावा खारिज हो चुका है, और दावा खारिज हो जाने कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नही होने कारण खारिज हो चुका है। दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.09.2017 को निरस्त किये जा चुके है। जब अधीनस्थ न्यायालय में कोई दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन ही नही है तो प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को चलाये जाने को कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 व 03 के उक्त कथन के सम्बन्ध में सहमति प्रकट करते हुए, इस न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अतः अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की सहमति के आधार पर उनवानी प्रकरण रामधन बनाम नारायण आदि को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति0 जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official